क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र,
मदनगंज–किशनगढ, (अजमेर)

क्रमांकः–राप्रनिमं / क्षे.का. / किश. / स्टोर / 2020–21 / 4634 दिनांक 24-03-2021

–: नीलामी सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ के भण्डार में अनुपयोगी, अप्रचलित, नकारा सामान– 1. सामान्य जैसे कुर्सीयां आदि (पुस्तक मूल्य रु. 29868 / –), 2. ई–वेस्ट जैसे ईन्वेटर (6 के.वी.ए.) बैटरी सहित, यू.पी.एस. 0.8 के.वी.ए., RDS (Air Monitoring Machine), कम्प्यूटर हार्डडिस्क एवं प्रिन्टर टोनर आदि (पुस्तक मूल्य रु. 195434 / –) तथा 3. अन्य–पुराने पंखे, बोलेरों वाहन के टायर एवं टयूब आदि (पुस्तक मूल्य रु. 41202 / –) की नीलामी दि. 30.03.2021 को कार्यालय परिसर में प्रातः 11.00 बजे नीलामी समिति द्वारा की जावेगी। विस्तृत विवरण, नियम एवं शर्तें विभागीय वेबसाईट http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb पर उपलब्ध है।

— sd —

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., किशनगढ

क्रमांकः–राप्रनिमं / क्षे.का. / किश. / स्टोर / 2020–21 / दिनांक

1. श्रीमान ए.सी.पी. (आई.टी.सेल) महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी सूचना बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
2. सम्पादक, दैनिक भास्कर किशनगढ को प्रेषित कर लेख है कि इस निविदा को एक क्षेत्रीय स्तर पर न्यूनतम साईज / स्पेस में, निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दरो पर प्रकाशित कर, बिल दो प्रतियो में इस कार्यालय में प्रस्तुत करावें।
3. कार्यालय नोटिस बोर्ड रा0 प्र0 नि0 म0 किशनगढ।

Deepak Tanwar
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., किशनगढ

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र,
मदनगंज–किशनगढ, (अजमेर)

कमांकः–राप्रनिमं/क्षे.का./किश./स्टोर/2020–21/4638 दिनांक 24.03.2021

–: नीलामी सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ के भण्डार में अनुपयोगी, अप्रचलित, नकारा सामान– 1. सामान्य जैसे कुर्सीयां आदि (पुस्तक मूल्य रु. 29868/–), 2. ई–वेस्ट जैसे इन्वर्टर (6 के.वी.ए.) बैटरी सहित, यू.पी. एस. 0.8 के.वी.ए., RDS (Air Monitoring Machine), कम्प्यूटर हार्डडिस्क एवं प्रिन्टर टोनर आदि (पुस्तक मूल्य रु. 195434/–) तथा 3. अन्य–पुराने पंखे, बोलेरों वाहन के टायर एवं टयूब आदि (पुस्तक मूल्य रु. 41202/–) की नीलामी दि. 30.03.2021 को कार्यालय परिसर में प्रातः 11.00 बजे नीलामी समिति द्वारा की जावेगी। अतः सभी इच्छुक बोलीदाता नीलामी की निम्न शर्तों पर नीलामी में भाग ले सकते है–

नीलामी हेतु नियम एवं शर्ते :–

1. नीलामी स्थल पर प्रत्येक बोली लगाने वाले को बोली लगाने से पहले उल्लेखित पुस्तक मूल्य की 2 प्रतिशत बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करानी होगी।
2. सामान्य सामान, ई–वेस्ट तथा अन्य उपकरण की नीलामी अलग–अलग होगी। पात्र बोलीदाता एक या तीनों नीलामियों में अलग–अलग बयाना राशि जमा करवाकर भाग ले सकते है।
3. ई–वेस्ट (इन्वर्टर तथा कम्प्यूटर संबंधित उपकरण) की नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता को ई–कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016/ बैटरी वेस्ट प्रबंधन नियम–2020 के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। उक्त पंजीकरण की प्रति नीलामी के समय प्रस्तुत करने पर ई–वेस्ट संबंधी नीलामी में भाग लिया जा सकेगा।
4. असफल बोली लगाने वालों को उक्त बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) नीलामी समाप्त होने के बाद लौटा दी जावेगी।
5. एक बार बोली समाप्त होने पर अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री के बारे में कोई शिकायत विचारार्थ स्वीकार नही की जावेगी और ना ही बोली लगाने वाला अपनी बोली वापस ले सकेगा।
6. नीलाम सामान के परिवहन इत्यादि का समस्त खर्च सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
7. उच्चतम बोली की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भुगतान योग्य किशनगढ के नाम से जमा करवानी होगी।
8. नीलामी के दिन ही नीलाम किये गये अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री की सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी। राशि जमा नही करवाने सफल बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. नीलाम किये गये अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री को नीलामी के दिन से 3 दिवस के अन्दर उठाना आवश्यक है। 3 दिवस में सामान नही उठाने पर 1000/– रूपये प्रति दिन की दर से जुर्माना वसूला जावेगा।
10. अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री जहाँ है, जैसी है, उसी हालात में नीलाम की जावेगी।अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री की नीलामी के पश्चात् उसमें किसी नुकसान या कमी के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, किशनगढ उत्तरदायी नही होगा।
11. राज्य मण्डल का कोई भी वर्तमान एवं पूर्व कार्मिक बोली में भाग नही ले सकेगा।
12. बिना कारण बोली स्वीकार करने या अस्वीकार करने, बोली को स्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
13. उक्त शर्तो के सम्बन्ध में किसी भी सन्देह का समाधान/खुलासे हेतु नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
14. इच्छुक बोलीदाता नीलामी तिथि से पूर्व यदि सामान का अवलोकन करना चाहे तो कार्यालय समय में भण्डार अधिकारी से सम्पर्क कर अवलोकन कर सकते हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र,
मदनगंज–किशनगढ, (अजमेर)

15. किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायक्षेत्र किशनगढ न्यायक्षेत्र रहेगा।
16. इच्छुक फर्म/संस्था/सम्बन्धित व्यक्ति (कबाड़ी) बिना किसी शर्त के नीलामी में भाग लेगे।
17. नीलामी में भाग लेने वाली फर्म/संस्था का जी.एस.टी. पंजीयन अनिवार्य होगा, जो सफल बोलीदाता द्वारा नियमानुसार जमा कराया जावेगा।
18. सफल बोलीदाता द्वारा सफल बोली राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार अधिरोपित करों (जीएसटी आदि) का भी भुगतान किया जावेगा।
19. अन्य शर्ते जो कोई भी, नीलामी कमेटी द्वारा निर्धारित की जावेगी।

कमांकः–राप्रनिमं/क्षे.का./किश./स्टोर/2020–21/ **दिनांक**

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं.,जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. ए.सी.पी., रा.प्र.नि.मं., जयपुर को विभागीय वेबवाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

Deepak Tanwar

(दीपक तॅवर)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., किशनगढ

:\Prem. RO-Kishangarh\Data\Letters Hindi 2020.doc